दिल्ली उच्च न्यायालय: नई दिल्ली

सि.वा.(मू.प.) 60/2021

निर्णय की तिथि: **12.02.2025**

निम्न मामले में:

जिनेश जैन ..... वादी

द्वारा: कोई नहीं

बनाम

अमित जैन व अन्य .....प्रतिवादीगण

द्वारा: श्री हितेश चोपड़ा और श्री राहुल कुमार, प्रति.-1 के अधिवक्तागण सुश्री हर्षिता, श्री समीर वशिष्ठ के लिए अधिवक्ता, एससी (सिविल), जीएनसीटीडी

माननीय न्यायमूर्ति श्री पुरुषेंद्र कुमार कौरव

निर्णय

पुरुषेंद्र कुमार कौरव, न्या.(मौखिक)

अं.आ. 45899/2024 *(सि.प्र.सं., 1908 की धारा 151 के अधीन)*

1. वर्तमान आवेदन आवेदक-प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा दायर किया गया है, जिसमें ₹6,00,000/- की स्टाम्प शुल्क राशि की वापसी का अनुरोध किया गया है।

2. अभिलेख से स्पष्ट है कि दिनांक 28.03.2022 को एक प्रारंभिक डिक्री पारित की गई, जिसमें यह घोषित किया गया कि वादी तथा प्रतिवादीगण प्रत्येक वादगत संपत्ति में 1/5वाँ अविभाजित हिस्सा पाने के अधिकारी हैं। तत्पश्चात् दिनांक 11.10.2022 को अंतिम डिक्री पारित की गई, जिसमें बिक्री से प्राप्त धनराशि का वितरण प्रारंभिक डिक्री में निर्धारित हिस्सों के अनुरूप करने का निर्देश दिया गया। रजिस्ट्री ने पक्षकारों को सूचित किया कि अंतिम डिक्री तैयार करने हेतु उन्हें ₹6,00,000/- स्टाम्प शुल्क जमा करना आवश्यक है।

3. आवेदक-प्रतिवादी संख्या 1, अर्थात् अमित जैन ने दिनांक 18.05.2023 को सभी पक्षकारों की ओर से स्टाम्प शुल्क जमा किया और दिनांक 25.05.2023 को अंतिम डिक्री तैयार की गई। तत्पश्चात्, आवेदक-प्रतिवादी संख्या 1 ने अंतिम डिक्री के क्रियान्वयन हेतु निष्पादन याचिका दायर की।

4. आवेदक-प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने निवेदन किया कि निष्पादन कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान, प्रतिवादी संख्या 2 ने अपनी वादगत संपत्ति में अविभाजित 1/5वाँ हिस्सा प्रतिफल के बदले आवेदक-प्रतिवादी संख्या 1 को विक्रय कर दिया और विक्रय विलेख दिनांक 21.02.2024 के पंजीकरण हेतु ₹6,01,124/- की स्टाम्प शुल्क राशि 'स्टॉक होल्डिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया' को अदा की गई। इसी प्रकार, वादी ने भी अपनी वादगत संपत्ति में अविभाजित 1/5वाँ हिस्सा आवेदक-प्रतिवादी संख्या 1

को विक्रय कर दिया। उक्त विक्रय विलेख दिनांक 11.06.2024 के पंजीकरण हेतु भी प्रतिफल के अतिरिक्त ₹6,01,124/- की स्टाम्प शुल्क राशि 'स्टॉक होल्डिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया' को अदा की गई।

5. यह भी उल्लेखनीय है कि दिनांक 02.07.2024 के आदेश द्वारा, इस न्यायालय ने दिनांक 17.06.2024 के समझौता ज्ञापन (MoU) की शर्तों को ध्यान में रखते हुए निष्पादन याचिका का निस्तारण कर दिया।

6. आवेदक-प्रतिवादी संख्या 1 ने सर्वोच्च न्यायालय के ***मुकेश बनाम मध्य प्रदेश राज्य एवं अन्य***[1] तथा इस न्यायालय के *सि.वा. (वाणि.) सं. 469/2019,* ***प्राउड सिक्योरिटीज एंड क्रेडिट्स प्राइवेट लिमिटेड बनाम उर्शिला केरकर और अन्य*** में दिए गए निर्णयों पर भरोसा किया है।

7. न्यायालय ने पूर्व तिथि पर राज्य के अधिवक्ता को नोटिस जारी करने का निर्देश दिया था। आज श्री समीर वशिष्ठ, स्थायी अधिवक्ता, जी.एन.सी.टी.डी. की ओर से अधिवक्ता सुश्री हर्षिता उपस्थित हुईं।

8. किसी भी विक्रयपत्र अथवा हस्तांतरण संबंधी दस्तावेज का पंजीकरण *पंजीकरण अधिनियम, 1908* (अधिनियम) द्वारा अनिवार्य किया गया है। अधिनियम की धारा 17 एक निषेधात्मक प्रावधान है और जब तक कोई दस्तावेज उपधारा (2) के अंतर्गत नहीं आता, तब तक किसी अचल संपत्ति में अधिकार हस्तांतरित करने वाले विक्रयपत्र का पंजीकरण अनिवार्य है। तथापि,

[1] 2024 एससीसी ऑनलाइन एससी 3832

धारा 17(2) कुछ अपवाद प्रदान करती है, जिनमें ऐसे विशिष्ट दस्तावेजों का उल्लेख है जिन्हें अनिवार्य पंजीकरण की आवश्यकता नहीं होती। इनमें धारा 17(2)(च) न्यायालय की डिक्री और आदेशों को छूट प्रदान करती है। यह प्रावधान स्पष्ट करता है कि सामान्यतः न्यायालय द्वारा पारित डिक्री या आदेश का पंजीकरण आवश्यक नहीं है, जब तक कि वह समझौता डिक्री न हो जिसमें वाद के विषय से परे अचल संपत्ति सम्मिलित की गई हो।

9. इसके अतिरिक्त, *भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899* (स्टाम्प अधिनियम) के अंतर्गत भी न्यायालय द्वारा पारित आदेश या डिक्री स्वभावतः स्टाम्प शुल्क के अधीन नहीं होती, क्योंकि यह अधिनियम की धारा 3 के साथ पढ़े जाने वाले अनुसूची 1 अथवा 1क में वर्णित शुल्क योग्य साधनों के अंतर्गत नहीं आती।

10. इस स्थिति को सर्वोच्च न्यायालय ने उपर्युक्त दोनों अधिनियमों के अंतर्संबंध पर विचार करते हुए ***मुकेश बनाम मध्य प्रदेश राज्य एवं अन्य***[2] के मामले में स्पष्ट किया है और निम्नलिखित रूप से प्रतिपादित किया है।-

> *".....उपर्युक्त से स्पष्ट है कि न्यायालय के आदेश/डिक्री पर स्टाम्प शुल्क देय नहीं है, क्योंकि यह भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की धारा 3 के साथ पढ़े जाने वाले अनुसूची 1 अथवा 1क में वर्णित दस्तावेजों के अंतर्गत नहीं आता। यद्यपि स्टाम्प कलेक्टर ने विषयगत भूमि के लिए स्टाम्प शुल्क का निर्धारण अधिनियम की अनुसूची 1क के अनुच्छेद 22 के अनुसार किया, जो विक्रयपत्र (conveyance) से संबंधित है, किन्तु इस मामले में हमने पहले ही यह माना है कि समझौता डिक्री अनुसूची में वर्णित साधनों के अंतर्गत नहीं आती और यह केवल पूर्व विद्यमान अधिकारों की पुष्टि करती है। अतः मामले के तथ्यों में सहमति डिक्री विक्रयपत्र के रूप में कार्य*

[2] 2024 एससीसी ऑनलाइन एससी 3832

नहीं करेगी क्योंकि कोई अधिकार हस्तांतरित नहीं हुआ है और इस पर किसी प्रकार का स्टाम्प शुल्क देय नहीं है। चूँकि अपीलकर्ता ने केवल पूर्ववर्ती अधिकार का दावा किया है और सहमति डिक्री द्वारा कोई नया अधिकार उत्पन्न नहीं हुआ है, अतः विषयगत भूमि के उत्प्रेषण (mutation) से संबंधित दस्तावेज स्टाम्प शुल्क के अधीन नहीं है।

11. इस न्यायालय ने ***हिमानी वालिया बनाम हेमंत वालिया एवं अन्य***[3] में, तथा इस न्यायालय की ***नितिन जैन बनाम अनुज जैन***[4] में खंडपीठ द्वारा दिए गए निर्णय को पुनः दोहराते हुए, स्पष्ट रूप से यह माना है कि पारिवारिक समझौते न तो अनिवार्यतः पंजीकरण के अधीन हैं और न ही उन पर अनिवार्य स्टाम्प शुल्क लागू होता है, जब ऐसा समझौता मौखिक विभाजन के रूप में उत्पन्न होता है और तत्पश्चात केवल सूचना हेतु लिखित रूप में अभिलेखित किया जाता है। उपर्युक्त निर्णय के प्रासंगिक अनुच्छेद निम्नलिखित रूप से उद्धृत हैं:-

"8. पारिवारिक समझौतों के पंजीकरण का प्रश्न अब अनिर्णीत विषय नहीं रहा। यदि पक्षकारों के बीच पूर्व में कोई समझौता हो चुका है और उसे केवल सूचना हेतु बाद में लिखित रूप में अभिलेखित किया गया है, तो ऐसे दस्तावेज का पंजीकरण आवश्यक नहीं होता। यह विधि का स्थापित सिद्धांत है, जैसा कि काले बनाम उप निदेशक, समेकन [3 (1976) 3 SCC 119] से स्पष्ट है। काले (उपर्युक्त) के निर्णय को ध्यान में रखते हुए, सर्वोच्च न्यायालय ने सीता राम भामा बनाम रामवतार भामा [(2018) 15 SCC 130 : AIR 2018 SC 3057] में अपने निर्णय द्वारा इस विधिक स्थिति को निम्नलिखित रूप से प्रतिपादित किया है।

[3] 2022 एससीसी ऑनलाइन डेल 5232
[4] 2007 एससीसी ऑनलाइन डेल 582

"10. वर्तमान मामले में विचारणीय एकमात्र प्रश्न यह है कि दिनांक 09.09.1994 का दस्तावेज़ विचारण न्यायालय द्वारा साक्ष्य में स्वीकार किया जा सकता था अथवा न्यायालय ने उक्त दस्तावेज़ को अवैध रूप से अस्वीकार्य ठहराया। वादी ने दिनांक 09.09.1994 के दस्तावेज़ को पारिवारिक समझौते का ज्ञापन बताया है। वादी का कथन है कि पूर्व में दिनांक 25.10.1992 को पक्षकारों के पिता के जीवनकाल में विभाजन हुआ था, जिसे दिनांक 09.09.1994 को पारिवारिक समझौते के ज्ञापन के रूप में अभिलेखित किया गया। हमारे मत में अनेक कारण हैं जिनसे यह स्पष्ट होता है कि दिनांक 09.09.1994 का दस्तावेज़ मात्र पारिवारिक समझौते का ज्ञापन नहीं बल्कि वास्तविक पारिवारिक समझौता था। प्रथम दृष्टया, दिनांक 25.10.1992 को पक्षकारों के पिता देवी दत्त वर्मा स्वयं आवास तथा दुकान के स्वामी थे, जो उनकी स्वयं अर्जित संपत्तियाँ थीं। उच्च न्यायालय ने उचित रूप से यह माना कि उक्त दस्तावेज़ को वसीयत नहीं कहा जा सकता, ताकि पिता अपने दोनों पुत्रों, वादी और प्रतिवादी, के पक्ष में वसीयत कर सकते। वादी और प्रतिवादी में से किसी का भी उक्त संपत्ति में कोई हिस्सा उस दिन नहीं था जब कहा जाता है कि देवी दत्त वर्मा ने विभाजन किया। देवी दत्त वर्मा का निधन दिनांक 10.09.1993 को हुआ। उनके निधन के बाद, वादी, प्रतिवादी, उनकी माता तथा बहनें हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1955 *के अंतर्गत* क्लास *1* उत्तराधिकारी *के रूप में संपत्ति के वारिस बन गए। दिनांक 09.09.1994 का दस्तावेज़ सम्पूर्ण संपत्ति को वादी और प्रतिवादी के मध्य विभाजित करता है, जिसे उनकी माता तथा बहनों द्वारा भी हस्ताक्षरित बताया गया है। किसी भी दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह अन्य उत्तराधिकारियों के अधिकारों का परित्याग है। अतः अधीनस्थ न्यायालयों का यह निष्कर्ष सही है कि जब अधिकारों का परित्याग हुआ है, तब दिनांक 09.09.1994 का दस्तावेज़ पंजीकरण अधिनियम की धारा 17 के अंतर्गत अनिवार्य रूप से पंजीकरणीय था।*

11. पारिवारिक समझौते, पारिवारिक समझौते के ज्ञापन तथा उसके पंजीकरण की आवश्यकता से संबंधित विधि इस न्यायालय द्वारा पूर्व में ही स्थापित की जा चुकी है। इस संदर्भ में काले बनाम उप निदेशक, समेकन (1976) 3 SCC 119 में दिए गए निर्णय का उल्लेख पर्याप्त है। पारिवारिक समझौते तथा उसके पंजीकरण के संबंध में इस न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 10 और 11 में प्रतिपादित सिद्धांत निम्नलिखित रूप से स्थापित किए गए हैं।

10. अन्य शब्दों में, पारिवारिक समझौते के बाध्यकारी प्रभाव और उसके आवश्यक तत्वों को ठोस रूप में प्रस्तुत करने हेतु, विषय को निम्नलिखित प्रतिपादनों में संक्षेपित किया जा सकता है

(1) पारिवारिक समझौता सद्भावपूर्ण होना चाहिए ताकि परिवारिक विवादों और प्रतिद्वंद्वी दावों का निपटारा परिवार के विभिन्न सदस्यों के बीच संपत्तियों के न्यायसंगत एवं समतामूलक विभाजन अथवा आवंटन द्वारा किया जा सके।

(2) उक्त समझौता स्वेच्छा से होना चाहिए और धोखाधड़ी, दबाव या अनुचित प्रभाव द्वारा प्रेरित नहीं होना चाहिए।

(3) पारिवारिक समझौता मौखिक भी हो सकता है, ऐसी स्थिति में पंजीकरण आवश्यक नहीं है।

(4) यह विधि द्वारा स्थापित है कि पंजीकरण तभी आवश्यक होगा जब पारिवारिक समझौता की शर्तें लिखित रूप में अभिलेखित की जाएँ। यहाँ भी यह अंतर किया जाना चाहिए कि एक दस्तावेज़ जिसमें पारिवारिक समझौता की शर्तें और विवरण उसी दस्तावेज़ के अंतर्गत किए गए हों और मात्र एक ज्ञापन जो पहले से किए गए पारिवारिक समझौते के पश्चात् केवल अभिलेख हेतु अथवा न्यायालय को आवश्यक उत्प्रेषण (mutation) के लिए सूचना देने हेतु तैयार किया गया हो। ऐसी स्थिति में ज्ञापन स्वयं किसी अचल संपत्ति में अधिकारों का सृजन या समाप्ति नहीं करता और इसलिए पंजीकरण अधिनियम की धारा 17(2) के अंतर्गत नहीं आता तथा अनिवार्य रूप से पंजीकरणीय नहीं है।

(5) वे सदस्य जो पारिवारिक समझौता के पक्षकार हों, उनके पास कुछ पूर्ववर्ती अधिकार, दावा या हित होना चाहिए, चाहे वह संपत्ति में संभावित दावा ही क्यों न हो, जिसे समझौते के पक्षकार स्वीकार करते हों। यदि समझौते के किसी एक पक्षकार के पास कोई अधिकार न हो, किन्तु समझौता के अंतर्गत अन्य पक्षकार अपने सभी दावे या अधिकार त्यागकर उसे एकमात्र स्वामी मान लें, तो पूर्ववर्ती अधिकार मान लिया जाएगा और पारिवारिक समझौता को मान्यता दी जाएगी तथा न्यायालयों को इसमें सहमति देने में कोई कठिनाई नहीं होगी

(6) यदि सद्भावपूर्ण विवाद, वर्तमान अथवा संभावित, जो विधिक दावों से संबंधित न भी हों, सद्भावपूर्ण पारिवारिक समझौता द्वारा न्यायसंगत एवं समतामूलक रूप से निपटाए जाते हैं, तो वह पारिवारिक समझौता अंतिम और पक्षकारों पर बाध्यकारी होगी।

11. *उपर्युक्त सिद्धांतों को इस न्यायालय के दीर्घकालीन निर्णयों में तथा प्रिवी काउंसिल एवं अन्य उच्च न्यायालयों के निर्णयों में स्पष्ट रूप से प्रतिपादित और विवेचित किया गया है, जिनकी चर्चा हम आगे करेंगे।*

12. *अतः हम विचारण न्यायालय तथा उच्च न्यायालय द्वारा लिए गए दृष्टिकोण से पूर्णतः सहमत हैं कि दिनांक 09.09.1994 का दस्तावेज़ अनिवार्य रूप से पंजीकरणीय था। उक्त दस्तावेज़ पर स्टाम्प शुल्क भी नहीं था, अतः इसे साक्ष्य में स्वीकार नहीं किया जा सकता था और विचारण न्यायालय द्वारा सिविल प्रक्रिया संहिता की आदेश XII नियम 3 के अंतर्गत प्रतिवादी के आवेदन को स्वीकार करते हुए दस्तावेज़ को अस्वीकार्य ठहराने के कारणों में कोई गलती नहीं है।"*

9. इस न्यायालय की खंडपीठ ने नितिन जैन बनाम अनुज जैन [ILR (2007) 2 Del 271] में यह माना है कि मौखिक पारिवारिक समझौते, जो पहले ही हो चुके हों, को अभिलेखित करने वाला ज्ञापन ऐसा साधन नहीं है जो संपत्ति का विभाजन करता हो अथवा विभाजन करने पर सहमति व्यक्त करता हो, और इसलिए उस पर स्टाम्प शुल्क देय नहीं है। उक्त निर्णय से प्रासंगिक अवलोकन निम्नलिखित रूप से उद्धृत हैं:

'6. विभाजन विलेख एक विभाजन साधन है और इसे स्टाम्प अधिनियम की धारा 2(15) में परिभाषित किया गया है। उक्त साधन अनुसूची 1, अनुच्छेद 45 के अनुसार शुल्क योग्य है। विभाजन साधन पर देय स्टाम्प शुल्क संपत्ति के मूल्य का 1% है। न्यायालय द्वारा पारित विभाजन डिक्री भी धारा 2(15) के अंतर्गत विभाजन साधन है, जिसकी परिभाषा इस प्रकार है:

"2(15). 'विभाजन साधन' का अर्थ है कोई भी साधन जिसके द्वारा किसी संपत्ति के सह-स्वामी उस संपत्ति का विभाजन करते हैं या विभाजन करने पर सहमत होते हैं, और इसमें किसी राजस्व प्राधिकारी अथवा किसी सिविल न्यायालय द्वारा पारित अंतिम आदेश तथा किसी मध्यस्थ द्वारा पारित विभाजन का पंचाट भी सम्मिलित है।"

7. तथापि, न्यायालयों ने संयुक्त परिवारों के मामलों में मौखिक विभाजन को मान्यता दी है। मौखिक विभाजन धारा 2(15) के अंतर्गत विभाजन साधन नहीं है। अतः चूँकि यह साधन नहीं है, मौखिक विभाजन पर कोई स्टाम्प शुल्क देय नहीं है।

8. न्यायालयों ने यह भी मान्यता दी है कि संपत्तियों का विभाजन/विभाजन करने हेतु मौखिक पारिवारिक समझौता करना विधिक रूप से अनुमेय है और तत्पश्चात् केवल शिष्टाचारवश एक ज्ञापन तैयार कर मौजूदा सह-स्वामी यह अभिलेखित कर सकते हैं कि संपत्ति का विभाजन पहले ही हो चुका है। ज्ञापन स्वयं संपत्तियों का विभाजन नहीं करता बल्कि केवल सूचना हेतु यह अभिलेखित करता है कि मौखिक विभाजन पहले ही हो चुका है। ज्ञापन स्वयं किसी अधिकार का सृजन या समाप्ति नहीं करता। लिखित रूप में मौखिक विभाजन का अभिलेख तैयार होता है। यह लेखन पूर्ववर्ती अधिकार को अभिलेखित करता है और स्वयं प्रथम बार संपत्तियों का विभाजन नहीं करता। चूँकि ज्ञापन केवल मौखिक विभाजन को अभिलेखित करता है जो पहले ही संपन्न हो चुका है और वर्तमान में कोई अधिकार उत्पन्न नहीं करता, इसे विभाजन साधन नहीं माना जा सकता। [संदर्भ: तेक बहादुर भुजिल बनाम देबी सिंह भुजिल, AIR 1966 SC 292; बख्तावर सिंह बनाम गुरदेव सिंह, (1996) 9 SCC 370; काले बनाम उप-निदेशक समेकन, (1976) 3 SCC 119; रोशन सिंह बनाम जैल सिंह, (2018) 14 SCC 814 : AIR 1988 SC 881; बचन सिंह बनाम करतार सिंह, JT (2001) 10 SC 64).]

9. उपर्युक्त विधिक स्थिति के आलोक में यह निष्कर्ष निकलता है कि विभाजन डिक्री एक विभाजन साधन है और इसलिए इसे अनुसूची 1, अनुच्छेद 45 सहपठित धारा 2(15) स्टाम्प अधिनियम के अंतर्गत स्टाम्प शुल्कयुक्त होना आवश्यक है। किन्तु मौखिक पारिवारिक समझौता, जो संपत्ति का विभाजन करता है, स्टाम्प शुल्क के अधीन नहीं है। इसी प्रकार, मौखिक पारिवारिक समझौते को अभिलेखित करने वाला ज्ञापन, जो पहले ही हो चुका हो, ऐसा साधन नहीं है जो संपत्ति का विभाजन करता हो अथवा विभाजन करने पर सहमति व्यक्त करता हो, और इसलिए उस पर स्टाम्प शुल्क देय नहीं है।"

10. अतः यह स्पष्ट है कि पारिवारिक समझौते का अनिवार्य पंजीकरण आवश्यक नहीं है और ऐसे समझौते पर अनिवार्य रूप से स्टाम्प शुल्क का भुगतान भी आवश्यक नहीं है, जब समझौता प्रारंभ में मौखिक विभाजन के रूप में संपन्न हुआ हो और तत्पश्चात केवल सूचना हेतु लिखित रूप में अभिलेखित किया गया हो। उक्त स्थिति को ध्यान में रखते हुए यह स्पष्ट किया जाता है कि वर्तमान मामले में वादगत संपत्तियों का मूल्यांकन आवश्यक नहीं है। स्व. श्री एस.एस. वालिया तथा डॉ. उर्मिला वालिया के

विधिक उत्तराधिकारियों द्वारा स्टाम्प शुल्क का भुगतान माफ माना जाएगा। विभिन्न प्राधिकरणों द्वारा जारी की गई नोटिस भी बिना किसी अन्य आदेश के निरस्त एवं वापस ली जाएँगी।

12. उपर्युक्त विधिक स्थिति के आलोक में यह स्पष्ट है कि स्टाम्प शुल्क तभी देय होता है जब कोई साधन अचल संपत्ति में किसी अधिकार, स्वामित्व, उपाधि अथवा हित का सृजन, हस्तांतरण, सीमांकन अथवा परित्याग करता है।

13. वर्तमान मामले में, आवेदक-प्रतिवादी संख्या 1 यह दावा करता है कि विवादित संपत्ति पहले से ही उन पक्षकारों के पूर्व-विद्यमान स्वामित्व अधिकारों के अधीन थी, जो दिवंगत श्री हेम चंद जैन के क्लास 1 कानूनी उत्तराधिकारी थे। श्री हेम चंद जैन का 09.10.2009 को बिना वसीयत के निधन हुआ और इस कारण वर्तमान वाद दायर किया गया, जिसमें यह दावा किया गया कि वादी और प्रतिवादी उक्त संपत्ति के संयुक्त स्वामी बन गए हैं, प्रत्येक का 1/5वाँ हिस्सा है। अतः चूँकि समझौता डिक्री द्वारा कोई नया अधिकार, उपाधि अथवा हित उत्पन्न नहीं हुआ और यह केवल पक्षकारों के पूर्व विद्यमान अधिकारों को औपचारिक डिक्री के रूप में पुष्ट करता है, इसलिए यह लेन-देन *स्टाम्प अधिनियम* की अनुसूची 1क के अंतर्गत विक्रयपत्र (conveyance) की परिभाषा में नहीं आता।

14. इसके अतिरिक्त, यह भी अभिलेख का विषय है कि पक्षकारों ने दिनांक 17.06.2024 के समझौता ज्ञापन (MoU) द्वारा आपसी विवाद का निस्तारण

किया, जिसके परिणामस्वरूप दिनांक 02.07.2024 की अंतिम डिक्री के निष्पादन हेतु दायर निष्पादन कार्यवाही वापस ले ली गई।

15. उपर्युक्त तथ्य भी स्पष्ट रूप से स्थापित करता है कि अंतिम डिक्री अथवा तत्पश्चात् हुए ज्ञापन द्वारा वादगत संपत्ति में कोई नया अधिकार उत्पन्न नहीं हुआ, बल्कि केवल आवेदक-प्रतिवादी संख्या 1 के पूर्व विद्यमान स्वामित्व को पुष्ट किया गया।

16. जहाँ तक अन्य पक्षकारों के हिस्से का अधिग्रहण आवेदक-प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा किया गया है, दो विक्रय विलेख निष्पादित किए गए और उन पर लागू स्टाम्प शुल्क विधिवत अदा किया गया। अतः यह स्पष्ट है कि जब संपत्ति के अधिकारों का हस्तांतरण अथवा नए अधिकारों का सृजन हुआ, तब आवश्यक स्टाम्प शुल्क विधिवत अदा किया गया। इसलिए वर्तमान मामले में वादी ₹6,00,000/- की स्टाम्प शुल्क वापसी का अधिकारी पाया गया है।

17. आदेशानुसार रजिस्ट्री को इस संबंध में उपयुक्त कदम उठाने का निर्देश दिया जाता है।

18. वर्तमान आवेदन का निस्तारण किया जाता है।

पुरुषेंद्र कुमार कौरव, न्या.

12 फरवरी, 2025

एन.सी./एमजेओ

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : *देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा| समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।*